धारा 34 : जमापत्र और नामे नोट

(1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए [1][एक या अधिक बीजक जारी किए गए है] और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभावित कर, ऐसी पूर्ति के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां पूर्तिकार द्वारा पूर्ति किए गए माल को प्राप्तिकर्ता द्वारा वापिस किया जाता है या जहां पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, पूर्तिकार को ऐसी विशिष्टयां, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला [2][किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी] कर सकेगा।

2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई जमापत्र जारी करता है, ऐसे जमापत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा, जिसके दौरान ऐसा जमापत्र जारी किया गया है, परन्तु ऐसा उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसी पूर्ति की गई थी, के अंत के पश्चात्वर्ती [3][30 नवम्बर] से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, से पूर्व किया जाएगा तथा कर दायित्व, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा :

[4][**परंतु** पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि–

(1) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहीं इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या

(2) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है।]

(3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए [5][एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए है] और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभारित कर को ऐसी पूर्ति के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, पूर्तिकार को, ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला [6][किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे नोट] जारी करेगा।

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) ''जमापत्र जारी'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

3 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''सितम्बर मास'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

4 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है। प्रतिस्थापना के पूर्व यह इस प्रकार था:
''**परन्तु** यदि ऐसी पूर्ति पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया है, तो पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी।''

5 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

6 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) ''नामे नोट'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई नामे नोट जारी करता है ऐसे नामे नोट के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे नोट जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व ऐसे रीति में, जो विहित की जाए, में समायोजित करेगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''नामे नोट'' पद के अंतर्गत कोई अनुपूरक बीजक भी है।

उपयुक्त नियमः नियम 53 एवं 54